राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1371/2023

अहफाज अली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक प्रशासन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, झालावाड़ आगार।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.05.2023
आदेश की दिनांक : 24.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय राज टांटिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चालक के पद पर झालावाड आगार में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, झालावाड में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से फलौदी आगार पूर्णतया राजनैतिक आधार पर किया गया है और आदेश दिनांक 12.04.2023 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 17.07.2014 के द्वारा हुई थी और उसका पदस्थापन आगार कोटा में किया गया था, तब से अपीलार्थी लगातार संतोषजनक सेवाएं दे रहा है। आदेश दिनांक 02.03.2020 के द्वारा अपीलार्थी को गंभीर बीमारी के कारण अग्रिम आदेशों तक झालावाड रखा गया है। अपीलार्थी के माता–पिता, दो बडे भाइयों का निधन हो चुका है एवं बडे भाई ब्रेन हैमरेज की बीमारी से पीडित है, जिनकी देखभाल अपीलार्थी ही करता है। फिर भी

अपीलार्थी का उक्त परिस्थितियों को ध्यान दिए बिना फलौदी आगार स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.2023 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 12.04.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चालक के पद पर झालावाड आगार में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, झालावाड में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.06.2022 के द्वारा झालावाड आगार पदस्थापित किया गया और आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.2023 के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया। आलोच्य आदेश नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप

नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य